

मुख्यमंत्री ने दिसम्बर 2025 तक सभी समितियों का कम्प्यूटराईजेशन करने के दिए निर्देश

सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक: मुख्यमंत्री



जून 2025 तक सभी समितियों का ऑडिट सुनिश्चित किया जाए

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सहकारी समितियों की साख और जन सामान्य में उनके प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए समितियों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। अतः सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कार्यों का शत प्रतिशत कम्प्यूटराईजेशन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जून 2025 तक समितियों का ऑडिट पूर्ण कर कृषकों को लेन-देन की सूचना एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराने और इस वर्ष के अंत अर्थात दिसम्बर 2025 तक सभी समितियों के कार्यों का कम्प्यूटराईजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मंत्रालय में हुई सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देशित कर रहे थे। बैठक में सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अशोक वर्णवाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अल्पसेवित पंचायतों की पहचान कर नवीन सहकारी समितियों के गठन के लिए प्राथमिकता पर कार्यवाही की जाए। वर्तमान परिदृश्य और आवश्यकताओं को देखते हुए अधिक से अधिक समितियों में पारंपरिक गतिविधियों के साथ-साथ कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जन औषधि केंद्र, जल कर वसूली केंद्र और एग्री ड्रोन संचालन जैसी

गतिविधियां चलाई जाएं। इसके साथ ही को-ऑपरेटिव- पब्लिक- प्राइवेट- पार्टनरशिप (सीपीपी) के माध्यम से सहकारी-सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से सहकारी समितियों को व्यवसाय के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सहकारिता में नवाचार करते हुए ड्रिप एग्रीगेशन, ग्रेडिंग-सार्टिंग और पैकेजिंग, जंगल सफारी, गेस्ट हाउस और खाद्य प्र-संस्करण जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। बैठक में जनकारी दी गई कि वर्ष 2024-25 में 35 लाख 3 हजार कृषकों को 21 हजार 232 करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरित किया गया, जो गत वर्ष की

तुलना में 1286 करोड़ रुपए अधिक है। प्रदेश के आठ आकांक्षी जिलों क्रमशः खण्डवा, बड़वानी, गुना, राजगढ़, विदिशा, दमोह, छतरपुर और सिंगरौली में आगामी पांच वर्ष 6710 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का लक्ष्य है। प्रदेश के 13 आकांक्षी विकास खण्डों में विभिन्न गतिविधियों पर आधारित 26 सहकारी समितियां गठित की गई हैं। जिला बैंकों और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में आईबीपीएस मुम्बई के माध्यम से अधिकारियों और समिति प्रबंधकों की नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत 36 अधिकारियों और 1358 समिति प्रबंधकों की नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

गौ-शालाओं में प्रति गाय 40 रूपये प्रति दिवस किये जाने का निर्णय

मंदसौर में 2932 करोड़ 30 लाख रु. की मल्हारगढ़ दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मिली मंजूरी

- मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौ-शालाओं की स्थापना नीति-2025 स्वीकृत
- मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम डॉ. अम्बेडकर पशुपालन विकास योजना रखे जाने की स्वीकृति
- प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एडसिल लिमिटेड से एमओयू किए जाने का निर्णय
- डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में निराश्रित गौवंश की समस्या के निराकरण के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत 'मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति - 2025' की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया है।

गौ-शालाओं को प्रति गाय 40 रूपये प्रति दिवस किये जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा गौशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने और मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुक्रम में गौ-शालाओं को 20 रूपये प्रति गौवंश प्रति दिवस से बढ़ाकर 40 रूपये प्रति गौवंश प्रति दिवस किये जाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना को डॉ. अम्बेडकर विकास योजना किये जाने



की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा राज्य में पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित गतिविधियों में रोजगार के नवीन अवसर बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ने से जीएसडीपी में वृद्धि और राष्ट्र की जीडीपी में योगदान बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना की निरन्तरता (वर्ष 2024-25 तथा 2025-26) रखते हुए योजना का नाम 'डॉ. अम्बेडकर पशुपालन विकास योजना' रखे जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृति अनुसार सहकारिता के माध्यम से पशुपालन गतिविधियों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर किसान को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे। नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम और बांझ निवारण शिविरों का आयोजन किया जायेगा। मुख्यमंत्री

डेयरी प्लस कार्यक्रम, चारा उत्पादन कार्यक्रम, प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दूधारू गायों के लिए पुरस्कार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम तथा पशुपालकों को योजनाओं की जानकारी प्रदाय करने एवं उन्मुखीकरण के लिए प्रचार-प्रसार कार्यक्रम की निरन्तरता पर स्वीकृति दी गयी। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड से एमओयू किए जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से संबद्ध संस्था व्याज दर पर किसान को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे। नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम और बांझ निवारण शिविरों का आयोजन किया जायेगा। मुख्यमंत्री

मंत्रालय से संबद्ध संस्था एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड (भारत सरकार की मिनी रत्न श्रेणी-1) सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइजेज (सीपीएसई) संस्था के द्वारा म.प्र. में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत गुणवत्ता सुधार, एलईपी के अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों को संचालित किया जायेगा। इसमें सीखने में वृद्धि कार्यशालाएँ, सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन, राज्य के बाहर वैज्ञानिक एक्सपोजर विजिट, शिक्षक विकास, सतत व्यावसायिक विकास और परिणाम शिक्षण रणनीतियों में सुधार शामिल हैं। मल्हारगढ़ (शिवाजी) दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना अंतर्गत मंदसौर जिले की मल्हारगढ़

(शिवाजी) दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 2932 करोड़ 30 लाख रूपये, सैच्य क्षेत्र 60 हजार हैक्टयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजना से मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के 32 ग्राम एवं मंदसौर तहसील के 115 ग्राम लाभान्वित होंगे। विद्युत कंपनियों के लिए कार्यशील पूँजी ऋण सुविधा के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किये जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की विद्युत कंपनियों के लिए कार्यशील पूँजी ऋण या नगद साख सुविधा के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गयी। लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रमों (योजनाओं) अन्तर्गत आने परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन मंत्रि-परिषद द्वारा लोक वित्त से वित्त पोषित

कार्यक्रमों (योजनाओं) अन्तर्गत आने परीक्षण तथा प्रशासकीय अनुमोदन वाली परियोजनाओं के परीक्षण और प्रशासकीय अनुमोदन की प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया है। इसे जारी करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालयों को पीपीपी मोड पर स्थापित करने संशोधित निविदा प्रपत्र प्रारूप का कार्योत्तर अनुमोदन मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों को पीपीपी मोड पर स्थापित करने संशोधित निविदा प्रपत्र प्रारूप को कार्योत्तर अनुमोदन दिया। साथ ही निविदा प्रपत्र में आवश्यक परिवर्तन करने एवं अन्य निराकरण किये जाने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए गठित राज्य स्तरीय सशक्त समिति को अधिकृत किया गया है।

राज्यमंत्री गौर ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के चिंतन शिविर में दिए सुझाव

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार)श्रीमती कृष्णा गौर ने प्रदेश के सभी जिलों में पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की बात कही। इन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और मेडिकल एवं अभियांत्रिकी सहित अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। उन्होंने पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी करने को भी कहा।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने अपने सुझावों पर चिंतन शिविर में उपस्थित केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (एसजेएंडई) डॉ. वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा का ध्यान आकृष्ट कराया। श्रीमती गौर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर 2025 को मंगलवार 8 अप्रैल को संबोधित कर रही थीं। गौर ने कहा कि चिंतन शिविर के आयोजन में राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने सामाजिक न्याय, समावेशन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया।

सुरक्षित, स्वच्छ और मानक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध: राज्य मंत्री पटेल

सीईएस एनालिटिकल एंड रिसर्च लेबोरेट्री का किया निरीक्षण

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य मंत्री श्री पटेल ने भोपाल स्थित सीईएस एनालिटिकल एंड रिसर्च लेबोरेट्री का निरीक्षण किया। यह प्रयोगशाला मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अंतर्गत अनुबोधित है, जहाँ खाद्य



सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं। राज्य मंत्री पटेल ने प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली, परीक्षण प्रक्रियाओं, उपकरणों और गुणवत्ता मानकों की विस्तृत जानकारी ली तथा बेहतर पारदर्शिता, कार्यक्षमता और सटीक परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रयोगशाला

में कार्यरत रसायन वैज्ञानिकों एवं विश्लेषकों से संवाद कर राज्य में खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और सुधार की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। राज्य मंत्री श्री पटेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रयोगशाला में सभी परीक्षण कार्य निर्धारित समय-सीमा और मानकों के अनुरूप निष्पादित किए जाएं।

प्रदेश में निरंतर बढ़ रहा है सिंचाई का रकबा

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम शिलावट ने कहा है कि प्रदेश में बेहतर जल प्रबंधन, जल संरक्षण एवं विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई का रकबा निरंतर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को साबन मंत्रि-परिषद की बैठक में पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना अंतर्गत मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ (शिवाजी) दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 2932 करोड़ 30 लाख रूपये, सैच्य क्षेत्र 60 हजार हैक्टयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जल संसाधन मंत्री श्री शिलावट ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 3104 करोड़ 60 लाख रूपये है तथा इससे मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ एवं मंदसौर तहसील के 60 हजार हैक्टयर भूमि में सिंचाई होगी एवं 147 गांवों के लगभग 35 हजार किसान परिवार लाभान्वित होंगे। परियोजना अंतर्गत शिवना नदी में बैराज का निर्माण कर वर्ष ऋतु में पवित्रांण के माध्यम से जल उद्बहन कर गांग पीथाछेड़ी जानीर में बैलेसिंग रिजर्वायर में जल का संग्रहण कर 44 हजार 500 हैक्टयर क्षेत्र में और गांधी सागर बांध में जल उद्बहन कर काकासाहेब गाडगिल में जल प्रवाहित करते हुए 15 हजार 500 हैक्टयर क्षेत्र में इस प्रकार कुल 60 हजार हैक्टयर में सिंचाई की जाएगी।

अल्बानिया रिपब्लिक के संसदीय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग बनेगा आब्जर्वर

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री मनोज श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को अल्बानिया रिपब्लिक के संसदीय चुनाव में आब्जर्वर के रूप में आमंत्रित किया गया है। अल्बानिया में 9 से 11 मई 2025 तक संसदीय निर्वाचन होगा है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री अभिषेक सिंह ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग

द्वारा स्थानीय निर्वाचन में किये गये विभिन्न नवाचारों जैसे पपरलेस बूथ आदि के सफल प्रयोग के कारण अल्बानिया के निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। उन्होंने बताया है कि यह पहला राज्य निर्वाचन आयोग है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाचक प्रेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफार्म उपलब्ध होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग अल्बानिया के निर्वाचन संबंधी वेस्ट प्रेक्टिसेज और नवाचारों को सीखेगा। साथ ही प्रदेश के आगामी स्थानीय निकायों के निर्वाचन में इनका उपयोग करने पर विचार करेगा। उन्होंने बताया कि यह आमंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग के लिये एक गौरव की बात है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए सहकारिता की गतिविधियां संचालित की जाएं: मुख्यमंत्री

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में सहकारिता की पहुंच बढ़ाने और सतत विकास में सहकारिता के योगदान के लिए ग्राम और वार्ड स्तर पर गतिविधियों का संचालन किया जाए। सहकारी सोसायटियों के सुदृढीकरण के लिए नवाचार और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देते हुए सहकारिता के सेट-अप में कांपरेट संस्कृति को विकसित करने का आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ज्ञान पर ध्यान के मंत्र को साकार करने और विकसित भारत के लिए भावी पीढ़ी की सहकारिता का आधार तैयार करने के उद्देश्य से गतिविधियां संचालित की जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय शीर्ष समिति की मंत्रालय में हुई बैठक को संबोधित कर रहे थे। पंचायत



एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से छूटे किसानों को चिन्हित कर उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्व, किसान कल्याण तथा एवं विकास, पशुपालन एवं

डेयरी और मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग समन्वित रूप से गतिविधियां संचालित करें। पैक्स के सशक्तिकरण और उन्हें अधिक समर्थ और सक्षम बनाने के लिए अन्तर्विभागीय समन्वय से कार्य किया जाए। शासकीय योजनाओं के कन्वर्जेंस में पैक्स के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत सरकार की पहल पर वर्ष-2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है।